संख्या 2-एक(11)/XXXVI(1)/2006-208/2001

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 1 देहरादून : दिनांक : 21 फरवरी, 2006

विषय: पारिवारिक न्यायालय पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश (देहरादून) एवं रूड़की(हरिद्वार) के सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1-एक(11)/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 31.1.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पारिवारिक न्यायालय पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश(देहरादून) एवं रूड़की(हरिद्वार) में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त नियुक्तियाँ कार्मिक/सम्बन्धित संवर्ग में सृजित नियमावली के अन्तर्गत अवधारित होगी ।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-04-पारिवारिक न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या: 2-एक(11)/XXXVI(1)/2006-208/2001-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज/वरिष्ठ कोषाधिकारी पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर ।
3. प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, ऋषिकेश(देहरादून) एवं रुड़की(हरिद्वार) ।
4. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।